

an>

Title: Regarding problem in implementation of 'Make in India' scheme for Medical devices manufactured in India due to their certification by US FDA and EC in Europe.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद और मैं आपका प्रोटेक्शन भी इस पर चाहूंगा। एक तरफ हमारी सरकार मेक इन इंडिया कैम्पेन की बात कर रही है और हर जगह मेक इन इंडिया पर ध्यान दिया जा रहा है। हमारी ब्यूरोक्रेसी का यह डाल है, वहां माननीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया कैम्पेन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये तीन टेण्डर हैं, अगर आप आइए देंगी तो मैं पटल पर भी रखूंगा। यदि भारत में कोई एक्स-रे का मैनुफैक्चरर है और वह भारत सरकार या डिफेंस मिनिस्ट्री को अपना सामान बेचना चाहता है तो उसे अमेरिका से एफ.डी.आई. अप्रूवल लेने की जरूरत है। जब तक भारत का मैनुफैक्चरर अमेरिका से एफ.डी.आई. अप्रूवल नहीं लेगा, तब तक वह भारत में अपना सामान नहीं बेच सकता है। इस बात पर मैंने डिफेंस मिनिस्टर और स्वास्थ्य मंत्री, दोनों को चिट्ठी लिखी। यह बहुत दुःख की बात है कि दो महीने में कोई जवाब नहीं आया है। मैं आपका प्रोटेक्शन चाहूंगा कि जो भारतीय उद्योगपति हैं, भारत में सामान बनाते हैं, उनको भारत में सामान बेचने के लिए कम से कम भारत के मानक जरूरी होने चाहिए। वे अमेरिका जाकर वहां से मानक परमीशन लें, तब भारत में वह सामान बेच सकते हैं। ऐसे इकोनियम लॉ यहां ब्यूरोक्रेसी कर रही है। इस पर मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि इस नियम को कैंसल किया जाए और भारतीय मैनुफैक्चरर्स को भारत में, चाहे वह डिफेंस हो या हेल्थ सेक्टर हो, उसमें सामान बेचने की इजाजत दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : यह सही है।

डॉ. किस्ट पी. सोलंकी को डॉ. संजय जायसवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।